

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 06/16

निर्णय दिनांक 09.05.2017

1. श्रीमति इन्द्राबाई पत्नी देवीशंकर जाति खटीक निवासी गांधी नगर कोटा तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम कुशालीपुरा तह0 कनवास।
2. आनंदीलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम कुशालीपुरा तह0 कनवास।
3. जैलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
4. छोटूलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम कुशालीपुरा तहसील कनवास।
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपरिथत :-


प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 04 - एक तरफा
प्रतिवादी क्रम 05 की ओर से परोकार सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दावा दिनांक 28.02.2012 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार कनवास से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 06.10.2016 से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार प्रस्तावित विभाजन रिपोर्ट प्राप्त हुई, अतः मुताबिक विभाजन रिपोर्ट अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	काश्तकार का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	किरम	लगान
1	बिरधीलाल, आनंदीलाल, जैलाल, छोटूलाल पि-लटूर जाति बलाई	कुशालीपुरा	629 पूर्वी	1.2000	चाही तृतीय	26.40


उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज)

	सा.देह खातेदार रहन:- बिरधीलाल पर इलाहाबाद बैंक शाखा अनन्तपुरा रहन छोटूलाल पर एस.बी.बी.जे शाखा सांगौद रहन आनंदीलाल पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा ए.सी कोटा रहन हि. जैलाल पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा ए.सी कोटा						
2	इन्द्रा पत्नी देवीशंकर जाति खटीक निवासी संजय नगर कोटा खातेदार	कुशालीपुरा	629/1	0.3900	चाही	8.58	
			पश्चिमी		तृतीय		

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार कनवास) (राज०)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाबा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. श्रीमति इन्द्राबाई पत्नी देवीशंकर जाति खटीक निवासी गांधी नगर कोटा तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम कुशालीपुरा तह0 कनवास।
2. आनंदीलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम कुशालीपुरा तह0 कनवास।
3. जैलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
4. छोटूलाल पुत्र लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम कुशालीपुरा तहसील कनवास।
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 06/16 सन 2014 निर्णय दिनांक 09.05.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी प्रतिवादी क्रम 05 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार है:-


क्र. स.	काश्तकार का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	बिरधीलाल, आनंदीलाल, जैलाल, छोटूलाल पि-लटूर जाति बलाई सा.देह खातेदार रहन:- बिरधीलाल पर इलाहाबाद बैंक शाखा अगन्तपुरा रहन छोटूलाल पर एस.बी.बी.जे शाखा सांगौद रहन आनंदीलाल पर ओरियन्टल	कुशालीपुरा	629 पूर्वी	1.2000	चाही तृतीय	26.40

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

	बैंक ऑफ कामर्स शाखा ए.सी कोटा रहन हि. जैलाल पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा ए.सी कोटा					
2	इन्द्रा पत्नी देवीशंकर जाति खटीक निवासी संजय नगर कोटा खातेदार	कुशालीपुरा	629/1 पश्चिमी	0.3900	चाही तृतीय	8.58

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ... मुबलिंग ... X ... बाबत ... X ... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/05/2017 को जारी की गई।

मोहर


उपखण्ड अधिकारी (प्रमोद कुमार राजस्व लोक अदालत)
(कनवास)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.	
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी			
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील			
महनताना वकील			खर्चा गवाहान			
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर			
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा			
बाबत इजराय हुकमनामा			मुताफरिफ			
मुताफरिफ			मीजान			
मीजान						

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।


उपखण्ड अधिकारी (प्रमोद कुमार राजस्व लोक अदालत)
(कनवास)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास